उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण



यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स A-1/4ए लखनपुर

पोस्ट बाक्स नं0 1050

कानपुर-208024 दूरभाष :2582851-53 (F

फैक्स :(0512)2580797

वेबसाइट :www.upside ई.मेल :feedback@up

संदर्भ संख्या

/यूपीसीडा/

दिनॉक

कार्यालय आदेश

प्रदेश में वेयर हाउसिंग तथा लाजिस्टिक इकाईयों की स्थापना हेतु लागू उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक नीति—2018 के प्रस्तर 3.2(1) एवं प्रस्तर 5 में संशोधन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग–6 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19 / 2020 / 1421 / 77-6-2020-5 (एम) / 2017 दिनॉक 12.06.20220 (छायाप्रति संलग्न) को प्राधिकरण की संचालक मण्डल की दिनॉक 18.09.2020 को आहूत 36 वीं बैठक में अंगीकृत किया गया है। तत्क्रम में एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा समस्त वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक पार्की तथा इकाईयों से सम्बन्धित परियोजनाओं में उक्त शासनादेश में सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। संलग्नकः यथोक्त।

> (मयूर माहेश्वरी) मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पृ०सं0 1753-175 यूपीसीडा 10) केप हाउकि। दिनॉक: 12/10/200 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर

वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर

समिति के समस्त सदस्यगण, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा० मुख्यालय, कानपुर।

सहा० महा प्रबन्धक(सा० / प्रा०) श्री दीक्षित, परियोजना सेल, यूपीसींडा कानपर।

सहा० महाप्रबन्धक(औ०क्षे०), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर

प्रभारी(कम्प्यूटर अनुभाग) यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर

गार्ड फाईल।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी